


मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

// कार्यालयीन आदेश //

भोपाल दिनांक 20.08.2019

क्रमांक 19414/1165/2019/ई/चार, वित्त विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ 19/3/2006/ई/चार, दिनांक 20 मार्च, 2009 द्वारा वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी अधिकारों के निर्धारण संबंधी आदेश प्रसारित किये गये थे, वर्तमान में कार्यालयीन कार्य प्रणाली के सुदृढीकरण एवं अन्य प्रशासकीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए आदेश दिनांक 20 मार्च, 2009 को अधिक्रमित करते हुए संलग्न सूची अनुसार नवीन आदेश प्रसारित किये जाते हैं।


(मनोज कुमार जैन)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
भोपाल, दिनांक 20.08.2019

क्र. 1942 /1165/2019/ई/चार,
प्रतिलिपि:-

1. माननीय वित्त मंत्रीजी के निज सचिव,
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय,
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय,
4. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय,
5. संचालक, बजट, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय,
6. समस्त उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय,
7. समस्त अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय,
को ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

(भाग-1) नवीन पदों के निर्माण आदि के संबंध में				
क्रं.	विषय	प्रकरण का व्यवहरण	प्रकरण के निराकरण का स्तर	
			अनुशंसा	अनुमोदन
1.	पदों का निर्माण/उन्नयन	अवर सचिव/उप सचिव/अपर सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/ अपर मुख्य सचिव	वित्त मंत्रीजी
2.	पदों की समाप्ति	अवर सचिव/उप सचिव/अपर सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/ अपर मुख्य सचिव	वित्त मंत्रीजी
3.	नवीन कार्यालय की स्थापना	अवर सचिव/उप सचिव/अपर सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/ अपर मुख्य सचिव	वित्त मंत्रीजी
4.	पदों का प्रवर्तन/निरंतरता	अवर सचिव/उप सचिव/अपर सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/ अपर मुख्य सचिव	वित्त मंत्रीजी
5.	पदों को अस्थायी से स्थायी परिवर्तन	अवर सचिव/उप सचिव/अपर सचिव	सचिव	प्रमुख सचिव/ अपर मुख्य सचिव

(भाग-2) नवीन वाहनों के क्रय आदि के संबंध में				
क्रं.	विषय	प्रकरण का व्यवहरण	प्रकरण के निराकरण का स्तर	
			अनुशंसा	अनुमोदन
1.	नये वाहन का क्रय	अवर सचिव/उप सचिव/अपर सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/ अपर मुख्य सचिव	वित्त मंत्रीजी
2.	वाहनों का प्रतिस्थापन	अवर सचिव/उप सचिव/अपर सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/ अपर मुख्य सचिव	वित्त मंत्रीजी
3.	वाहनों का संधारण/ मरम्मत	अवर सचिव/उप सचिव/अपर सचिव	सचिव *निर्धारित सीमा से रूपये 20,000/- तक	प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव *निर्धारित सीमा से रूपये 20,000/- से अधिक
4.	किराये पर वाहन लिये जाने की स्वीकृति।	अवर सचिव/उप सचिव/अपर सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/ अपर मुख्य सचिव	वित्त मंत्रीजी

(भाग-3) अनुदान				
क्रं.	विषय	प्रकरण का व्यवहरण	प्रकरण के निराकरण का स्तर	
			अनुशंसा	अनुमोदन
1.	आवर्ती रू.50.00 लाख से अधिक	अवर सचिव/उप सचिव/ अपर सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/ अपर मुख्य सचिव	वित्त मंत्रीजी
2.	रूपये 50.00 लाख तक	अवर सचिव/उप सचिव/ अपर सचिव	सचिव	प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव

(भाग-4) नवीन ऋण तथा अग्रिम				
क्रं.	विषय	प्रकरण का व्यवहरण	प्रकरण के निराकरण का स्तर	
			अनुशंसा	अनुमोदन
1.	रूपये 5 करोड़ तक	अवर सचिव/उप सचिव/ अपर सचिव	सचिव/संचालक बजट	प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव
2.	रूपये 5 करोड़ से अधिक	अवर सचिव/उप सचिव/ अपर सचिव	सचिव/संचालक बजट/ प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	वित्त मंत्रीजी

Handwritten signature

(भाग-5) संस्थाओं में धनावेष्ठन/विनियोजन				
क्रं.	विषय	प्रकरण का व्यवहरण	प्रकरण के निराकरण का स्तर	
			अनुशंसा	अनुमोदन
1.	जहां पूर्व से धनावेष्ठन किया है। अ-रूपये 25.00 लाख तक	अवर सचिव/उप सचिव/ अपर सचिव	सचिव	प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव
	ब-रूपये 25.00 लाख से अधिक	अवर सचिव/उप सचिव/ अपर सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/ अपर मुख्य सचिव	वित्त मंत्रीजी
2.	नवीन धनावेष्ठन	अवर सचिव/उप सचिव/ अपर सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/ अपर मुख्य सचिव	वित्त मंत्रीजी

(भाग-6) नवीन कार्यालय व्यय				
क्रं.	विषय	प्रकरण का व्यवहरण	प्रकरण के निराकरण का स्तर	
			अनुशंसा	अनुमोदन
1.	रूपये 10.00 लाख तक	अवर सचिव/उप सचिव /अपर सचिव	सचिव	प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव
2.	रूपये 10.00 लाख से अधिक	अवर सचिव/उप सचिव /अपर सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	वित्त मंत्रीजी

(भाग-7) नवीन मदों को बजट में शामिल करना				
क्रं.	विषय	प्रकरण का व्यवहरण	प्रकरण के निराकरण का स्तर	
			अनुशंसा	अनुमोदन
1.	नवीन मदों को बजट में शामिल करना	अवर सचिव/उप सचिव /अपर सचिव	प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	वित्त मंत्रीजी
2.	नवीन मदों को अनुपूरक अनुमान में सम्मिलित करना	अवर सचिव/उप सचिव /अपर सचिव	प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	वित्त मंत्रीजी
3.	अपरीक्षित नये मद के बजट आवंटन सौंपना।	अवर सचिव/उप सचिव /अपर सचिव	सचिव	प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव

(भाग-8) पुनर्विनियोजन				
क्रं.	विषय	प्रकरण का व्यवहरण	प्रकरण के निराकरण का स्तर	
			अनुशंसा	अनुमोदन
1.	पुनर्विनियोजन 5.00 करोड़ से अधिक	अवर सचिव/उप सचिव/ अपर सचिव	प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	वित्त मंत्रीजी
2.	पुनर्विनियोजन 5.00 करोड़ से कम	अवर सचिव/उप सचिव/ अपर सचिव	सचिव	प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव

(भाग-9) राजस्व से छूट/माफी				
क्रं.	विषय	प्रकरण का व्यवहरण	प्रकरण के निराकरण का स्तर	
			अनुशंसा	अनुमोदन
1.	सभी प्रकार के प्रकरण	अवर सचिव/उप सचिव/ अपर सचिव	प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	वित्त मंत्रीजी

Handwritten signature

(भाग-10) करारोपण				
क्रं.	विषय	प्रकरण का व्यवहरण	प्रकरण के निराकरण का स्तर	
			अनुशंसा	अनुमोदन
1.	नये करों का करारोपण/ दरों का परिवर्तन	अवर सचिव/उप सचिव/ अपर सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/ अपर मुख्य सचिव	वित्त मंत्रीजी

(भाग-11) आकस्मिकता निधि				
क्रं.	विषय	प्रकरण का व्यवहरण	प्रकरण के निराकरण का स्तर	
			अनुशंसा	अनुमोदन
1.	आकस्मिकता निधि से अग्रिम	अवर सचिव/उप सचिव/ अपर सचिव	प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	वित्त मंत्रीजी

(भाग-12) आकस्मिकता व्यय, मजदूरी, किराया, यात्रा व्यय जो पृथक से स्वीकृत करना हो				
क्रं.	विषय	प्रकरण का व्यवहरण	प्रकरण के निराकरण का स्तर	
			अनुशंसा	अनुमोदन
1.	रूपये 10.00 लाख तक	अवर सचिव/उप सचिव /अपर सचिव	सचिव	प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव
2.	रूपये 10.00 लाख से अधिक	अवर सचिव/उप सचिव /अपर सचिव	प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	वित्त मंत्रीजी

(भाग-13) के-डिपॉजिट				
क्रं.	विषय	प्रकरण का व्यवहरण	प्रकरण के निराकरण का स्तर	
			अनुशंसा	अनुमोदन
1.	के-डिपॉजिट में राशि जमा करना एवं आहरण	अवर सचिव/उप सचिव/अपर सचिव	सचिव	प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव
2.	पी.डी.खाता खोलना एवं इसकी निरंतरता प्रदान करना।	अवर सचिव/उप सचिव/अपर सचिव	सचिव	प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव

(भाग-14) शासकीय प्रत्याभूति				
क्रं.	विषय	प्रकरण का व्यवहरण	प्रकरण के निराकरण का स्तर	
			अनुशंसा	अनुमोदन
1.	शासकीय प्रत्याभूति के प्रकरण	अवर सचिव/उप सचिव/अपर सचिव	प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	वित्त मंत्रीजी

(भाग-15) भारत सरकार की राशि				
क्रं.	विषय	प्रकरण का व्यवहरण	प्रकरण के निराकरण का स्तर	
			अनुशंसा	अनुमोदन
1.	भारत सरकार से प्राप्त राशि को विमुक्त किया जाना।	अवर सचिव/उप सचिव/अपर सचिव	सचिव	प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव

uab

(भाग-16) विदेश यात्रा				
क्रं.	विषय	प्रकरण का व्यवहरण	प्रकरण के निराकरण का स्तर	
			अनुशंसा	अनुमोदन
1.	विदेश यात्रा जिनमें वित्त विभाग का अभिमत अपेक्षित है एवं राज्य शासन/राज्य शासन से संबद्ध संस्थाओं द्वारा व्यय प्रस्तावित हो।	अवर सचिव/उप सचिव /अपर सचिव	प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	वित्त मंत्रीजी
2.	अन्य	अवर सचिव/उप सचिव /अपर सचिव	सचिव	प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव

(भाग-17) अपलेखन				
क्रं.	विषय	प्रकरण का व्यवहरण	प्रकरण के निराकरण का स्तर	
			अनुशंसा	अनुमोदन
1.	वित्तीय अधिकार पुस्तिका में प्रत्यायोजित अधिकारों के अतिरिक्त रूपये 50.00 लाख से अधिक।	अवर सचिव/उप सचिव /अपर सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	वित्त मंत्रीजी
2.	वित्तीय अधिकार पुस्तिका में प्रत्यायोजित अधिकारों के अतिरिक्त रूपये 50.00 लाख तक।	अवर सचिव/उप सचिव /अपर सचिव	सचिव	प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव

(भाग-18) किसी भी वित्तीय नियम का शिथिलीकरण संबंधी प्रकरण				
क्रं.	विषय	प्रकरण का व्यवहरण	प्रकरण के निराकरण का स्तर	
			अनुशंसा	अनुमोदन
1.	यदि शिथिलीकरण के प्रभाव से शासन पर रूपये 4.00 लाख तक व्ययभार आता हो या हानि हो या उसकी संभावना हो।	अवर सचिव/उप सचिव /अपर सचिव	सचिव	प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव
2.	यदि शिथिलीकरण के प्रभाव से शासन पर रूपये 4.00 लाख या अधिक व्यय होता है या हानि हो या उसकी संभावना हो।	अवर सचिव/उप सचिव /अपर सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव /अपर मुख्य सचिव	वित्त मंत्रीजी
3.	वेतनमान या अन्य विशेष वेतन, भत्ता आदि का पुनरीक्षण या विशेष वेतन आदि का प्रदान करने का प्रस्ताव संबंधी सभी प्रकरण।	अवर सचिव/उप सचिव /अपर सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव /अपर मुख्य सचिव	वित्त मंत्रीजी

was

4.	मंहगाई भत्ता तथा पेंशन राहत के पुनरीक्षण संबंधी प्रस्ताव।	अवर सचिव/उप सचिव /अपर सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव /अपर मुख्य सचिव	वित्त मंत्रीजी
5.	शासकीय कर्मचारियों को नगद से भिन्न से कोई नवीन सुविधा देने के प्रस्ताव या वर्तमान सेवा में वृद्धि।	अवर सचिव/उप सचिव /अपर सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव /अपर मुख्य सचिव	वित्त मंत्रीजी
6.	वित्तीय अधिकार शक्ति पुस्तिका के प्रावधानों से पृथक कोई अन्य वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन।			
	अ-राजस्व व्यय रू. 1.00 लाख तक	अवर सचिव/उप सचिव /अपर सचिव	सचिव	प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव
	ब-राजस्व व्यय रू.1.00 लाख से अधिक	अवर सचिव/उप सचिव /अपर सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव /अपर मुख्य सचिव	वित्त मंत्रीजी
	स-पूंजीगत व्यय रू.25.00 लाख तक	अवर सचिव/उप सचिव /अपर सचिव	सचिव	प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव
	द-पूंजीगत व्यय रू.25.00 लाख से अधिक	अवर सचिव/उप सचिव /अपर सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव /अपर मुख्य सचिव	वित्त मंत्रीजी

(भाग-19) अनुबंध/नामांकन संबंधी प्रकरण				
क्रं.	विषय	प्रकरण का व्यवहरण	प्रकरण के निराकरण का स्तर	
			अनुशंसा	अनुमोदन
1.	किसी भी संस्था के साथ अनुबंध करने संबंधी प्रकरण विश्व बैंक बीमा निगम आदि या भारत सरकार के साथ या अंतर्राज्यीय अनुबंध आदि समस्त प्रकरण जिसमें वित्तीय भार चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष निहित हो।	अवर सचिव/उप सचिव /अपर सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/ अपर मुख्य सचिव	वित्त मंत्रीजी
2.	भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन विधानसभा से प्राप्त प्रतिवेदन तथा अन्य किसी प्रकार के विशेष प्रतिवेदन जिनमें कार्यवाही की पुष्टि की जाना आदि से संबंधित प्रकरण।	अवर सचिव/उप सचिव /अपर सचिव	सचिव	प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव
3.	किसी भी समिति का निर्माण करने संबंधी या सदस्यों के नामांकन संबंधी प्रकरण वित्तीय नियंत्रण या अन्य महत्वपूर्ण समिति।	अवर सचिव/उप सचिव /अपर सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/ अपर मुख्य सचिव	वित्त मंत्रीजी

was

(भाग-20) अन्य प्रकरण चालू कार्यो के लिये अर्थात नवीन मदों को छोड़कर बजट में प्रावधान रहते हुए खर्च के लिये वित्त विभाग में प्राप्त प्रकरण जिसमें वित्त विभाग से सहमति दिया जाना।


क्रं.	विषय	प्रकरण का व्यवहरण	प्रकरण के निराकरण का स्तर	
			अनुशंसा	अनुमोदन
1.	यदि किसी भी वित्तीय नियम को शिथिल करने की आवश्यकता न हो और यदि वह राजस्व व्यय से संबंधित हो और व्यय की मात्रा रूपये 100.00 करोड़ से अधिक न हो।	अवर सचिव/उप सचिव/अपर सचिव	सचिव/संचालक, बजट	प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव
2.	यदि किसी भी वित्तीय नियम को शिथिल करने की आवश्यकता न हो और यदि वह राजस्व व्यय से संबंधित हो और व्यय की मात्रा 100.00 करोड़ से अधिक हो।	अवर सचिव/उप सचिव/संचालक, बजट	प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	वित्त मंत्रीजी
3.	अन्य समस्त प्रकार के कार्यालयीन कार्य।	अवर सचिव/उप सचिव/संचालक, बजट	-	सचिव

(भाग-21) स्थापना शाखा से संबंधित प्रकरण

क्रं.	विषय	प्रकरण का व्यवहरण	प्रकरण के निराकरण का स्तर	
			अनुशंसा	अनुमोदन
1.	नियुक्ति/पदोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति	अवर सचिव/उप सचिव/अपर सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	वित्त मंत्रीजी
2.	रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपना	अवर सचिव/उप सचिव/अपर सचिव	-	सचिव
3.	स्थानान्तरण बाधित अवधि का निराकरण।	अवर सचिव/उप सचिव/अपर सचिव	सचिव	वित्त मंत्रीजी
4.	विभागीय जांच प्रकरण।	अवर सचिव/उप सचिव/अपर सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	वित्त मंत्रीजी
5.	लोकायुक्त या राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से संबंधित प्रकरण। (केवल शिकायती पत्रों पर कार्यवाही)	अवर सचिव/उप सचिव/अपर सचिव	-	सचिव
6.	शिकायत का निराकरण।	अवर सचिव/उप सचिव/अपर सचिव	-	सचिव
7.	अभियोजन की स्वीकृति/अपराधिक प्रकरण।	अवर सचिव/उप सचिव/अपर सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	वित्त मंत्रीजी

uad


8.	प्रशिक्षण अ-प्रथम श्रेणी अधिकारी ब-प्रथम श्रेणी के अतिरिक्त अन्य अधिकारी	अवर सचिव/उप सचिव /अपर सचिव अवर सचिव/उप सचिव /अपर सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव सचिव	वित्त मंत्रीजी प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव
9.	कोषालय/उप कोषालय की स्थापना।	अवर सचिव/उप सचिव /अपर सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	वित्त मंत्रीजी
10.	गोपनीय प्रतिवेदनों में अंकित प्रतिकूल टिप्पणियों के विरुद्ध अभ्यावेदन। अ-जिसमें स्वीकृतकर्ता विभागाध्यक्ष है। ब-जिसमें स्वीकृतकर्ता विभाग प्रमुख है।	अवर सचिव/उप सचिव /अपर सचिव अवर सचिव/उप सचिव /अपर सचिव	सचिव सचिव/प्रमुख सचिव	प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव वित्त मंत्रीजी
11	निगम/मण्डल/संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों में वित्त विभाग के अधिकारियों का नामांकन।	अवर सचिव/उप सचिव /अपर सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	वित्त मंत्रीजी
12	राज्य से बाहर यात्रा की अनुमति।	अवर सचिव/उप सचिव /अपर सचिव	सचिव	प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव
13	पात्रता नहीं होने पर वायुयान से यात्रा की अनुमति।	अवर सचिव/उप सचिव /अपर सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव	वित्त मंत्रीजी
14	विदेश यात्रा की अनुमति।	अवर सचिव/उप सचिव /अपर सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव	वित्त मंत्रीजी
15	अस्थायी पदों का प्रवर्तन।	अवर सचिव/उप सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	वित्त मंत्रीजी
16	मध्यप्रदेश वित्त निगम से संबंधित विषय।	अवर सचिव/उप सचिव /अपर सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	वित्त मंत्रीजी
17	दी प्रॉविडेंट इन्वेस्टमेंट कम्पनी से संबंधित विषय।	अवर सचिव/उप सचिव /अपर सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव	वित्त मंत्रीजी
18	अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित करना। अ-प्रथम श्रेणी अधिकारी ब-प्रथम श्रेणी के अतिरिक्त अन्य अधिकारी	अवर सचिव/उप सचिव /अपर सचिव अवर सचिव/उप सचिव /अपर सचिव	सचिव -	वित्त मंत्रीजी सचिव
19	दण्ड शास्त्र अधिरोपित करना अ-प्रथम श्रेणी अधिकारी ब-प्रथम श्रेणी के अतिरिक्त अन्य अधिकारी	अवर सचिव/उप सचिव /अपर सचिव अवर सचिव/उप सचिव /अपर सचिव	सचिव सचिव	वित्त मंत्रीजी वित्त मंत्रीजी



(भाग-22) प्रशासकीय विभाग के प्रकरणों के अतिरिक्त प्राप्त प्रकरणों पर कार्यवाही के संबंध में (बजट एवं अन्य शाखाओं हेतु)				
क्रं.	विषय	प्रकरण का व्यवहरण	प्रकरण के निराकरण का स्तर	
			अनुशंसा	अनुमोदन
1.	विधानसभा प्रश्न/शून्यकाल की सूचना/ध्यानाकर्षण सूचना/स्थगन प्रस्ताव/आश्वासन।	अवर सचिव/उप सचिव /अपर सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव /अपर मुख्य सचिव	वित्त मंत्रीजी
2.	विधानसभा अप्रत्यक्ष प्रश्न	अवर सचिव/उप सचिव /अपर सचिव	-	सचिव
3.	विधानसभा अतारांकित प्रश्न	अवर सचिव/उप सचिव /अपर सचिव	सचिव	प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव
4.	ऑडिट प्रतिवेदन पर कार्यवाही।	अवर सचिव/उप सचिव /अपर सचिव	सचिव/प्रमुख सचिव /अपर मुख्य सचिव	वित्त मंत्रीजी
5.	न्यायालयीन प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति।	अवर सचिव/उप सचिव /अपर सचिव	सचिव	प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव

*टीप:- मंत्रि-परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त प्रकरण, नीतिगत प्रकरण एवं छूट के प्रस्ताव अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त के माध्यम से माननीय वित्त मंत्रीजी को प्रस्तुत किये जावे। शेष प्रकरण सचिव सीधे वित्त मंत्रीजी को अंकित कर सकेंगे।

**टीप:- संलग्न सूची में जिन प्रकरणों में अंतिम निराकरण का स्तर सचिव स्तर पर निर्धारित है, उन प्रकरणों में भी सचिव स्वविवेक से निर्णय लेते हुए वित्त मंत्रीजी/अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव को नस्ती अंकित कर सकते हैं।


उप सचिव, वित्त